आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–55/2023

31.10.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता सुश्री पुजा कुमारी सोनी, मेट्रो गली, रोड़ नं0–12, राँची आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से श्री श्रीनिवास सिंह, पणन पदाधिकारी, राँची आयोग कार्यालय में उपस्थित।

आयोग के सुनवाई में शिकायतकर्त्ता पुजा कुमारी सोनी स्वयं और जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची के प्रतिनिधि के तौर पर पणन पदाधिकारी, उपस्थित रहे। शिकायतकर्त्ता ने जनवितरण प्रणाली दुकानदार श्री गणपति चन्द्रगुप्त के विरूद्ध कम राशन दिये जाने का विरोध करने पर उनके द्वारा हाथा–पाई करने का आरोप लगाया था। आयोग ने उनके उक्त आरोप की जाँच करने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची को दिया था, और उन्हें यह निर्देश भी दिया था कि वो उपरोक्त जाँच का प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में ये बताया गया है कि जनवितरण प्रणाली दुकानदार श्री गणपति चन्द्रगुप्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप सही पाये जाने के कारण उनकी अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गयी है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची के प्रतिनिधि के तौर पर आयोग में उपस्थित पणन पदाधिकारी को यह निर्देश देता है कि वो अनुज्ञप्ति निलंबित किये जाने से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज आयोग के अभिलेख में प्रस्तुत करें। आयोग पणन पदाधिकारी के माध्यम से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची को निर्देश देता है कि लाभुक को जिस अवधि का जितना राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है या कम उपलब्ध कराया गया है, उसका सवा गुणा मुआवजा सहित अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और ऐसा कर दिये जाने का लिखित प्रमाण आयोग के अगली सुनवाई में प्रस्तुत करें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची द्वारा यदि आयोग के आज के आदेश के अनुपालन का प्रमाण पेश नहीं किया गया तो दिनांक–17.11.2023 के होने वाली सुनवाई में आयोग, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची के विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई करने को बाध्य होगा।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–17.11.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–17.11.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267